

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 - 2010/00029

राजस्व वाद संख्या - 131/2010

1. रमेश पुत्र श्री कालू
2. सुरेन्द्र पुत्र श्री कालू
3. रोशन पुत्र श्री कालू

समस्त जाति मीणा, निवासी कांकरेल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमान सचिव महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
3. कल्याण पुत्र प्रभात (फौत)

- 3/1. राकेश पुत्र कल्याण
- 3/2. ओमप्रकाश पुत्र कल्याण
- 3/3. बिडला पुत्र कल्याण
- 3/4. रिकू पुत्र कल्याण
- 3/5. सुनिल पुत्र कल्याण
- 3/6. कमली पत्नी कल्याण

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम कांकरेल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3/7. माया पत्नी नरसी लाल पुत्री स्व० श्री कल्याण, जाति मीणा, निवासी चारणो की ढाणी, चारवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

4. रामलाल पुत्र प्रभात

5. प्रभू नारायण पुत्र प्रभात

जाति मीणा, निवासी ग्राम कांकरेल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— — — प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी जैर दफा अन्तर्गत

धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :- 05.06.2025

संक्षेप्त में वादीगण/वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावा बाबत इस्तकरार हक हुक्म इम्तनाई दवामी जैर दफा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा वाके मोजा कांकरेल अन्तर्गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके हाल खसरा नम्बर 1775 रकबा 3.93 हैक्टे० है। इस भूमि पर वादीगण एवं इनके बुजुर्ग जागीरी के जमाने से ही कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं व जागीरी के जमाने में जागीरदार को लटाई बतौर लगान अदा करते थे तथा जागीरी पुर्नग्रहण के पश्चात् राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं तथा आराजीयात पर निरन्तर कब्जे काश्त में हैं। उक्त खसरा नंबर 1775 की भूमि कभी भी चारागाह भूमि नहीं रही है एवं ना ही कभी सरकारी भूमि अथवा चारागाह के रूप में काम ही आयी है, किन्तु सेटलमेन्ट सर्वेक्षण के दौरान उक्त भूमि को सहवन से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक व चारागाह के रूप में अंकित कर दी गई जबकि वादीगण खसरा नंबर 1775 रकबा 3.93 हैक्टेयर पर लगातार अर्थात् निरन्तर

कब्जे काश्त में काबिज चले आ रहे हैं एवं प्रत्येक वर्ष काश्त करते आ रहे हैं। भूमि खसरा नंबर 1775 रकबा 3.93 हैक्टियर पर वादीगण जागीर के जमाने से ही कब्जा काश्त में होने के कारण खातेदार टीनेन्ट हो चुके हैं तथा सम्वत् 2010 में भी वादीगण के बुजुर्गों द्वारा बहैसियत खातेदार काश्त की थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में हुए इस गलत इन्द्राज के कारण तहसीलदार जी आमेर, वादीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा बेदखली हेतु बार-बार धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करते आ रहे हैं। इस कारण इस गलत इन्द्राज को दुरुस्त कर वादीगण के खातेदारी में दर्ज करने हेतु कई मरतबा निवेदन किया किन्तु बार-बार निवेदन करने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात को वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं करने के कारण वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक द्वारा प्रतिवादीगण एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय जयपुर को एक नोटिस जैर दफा 80 जाप्ता दीवानी का दिनांक 29-03-2010 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. दिया गया जो कि प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को वादीगण के परिवार का सदस्य श्री कल्याण पुत्र श्री प्रभात मीणा ने भी आधे हिस्से में कुछ दिन काश्त की थी लेकिन पारिवारिक समझौते के तहत कल्याण व कल्याण के पिता श्री प्रभात ने 100/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिनांक 30-01-2007 को वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के आधे हिस्से को वादीगण के हक में छोड़ते हुए वादीगण के हक में सहमति पत्र तहरीर व तकमील किया व गवाह बतौर हस्ताक्षर किये, तभी से सम्पूर्ण आराजीयात में वादीगण ही आराजीयात में कब्जे काश्त में है। इस कारण वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण भूमि के वादीगण ही कब्जे काश्तकार हैं एवं स्वामित्व अधिकार हासिल हैं। वादीगण व इनके बुजुर्गों ने इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि को समतल की है तथा भूमि को चाही बनाने हेतु गैर मुमकिन चाह का निर्माण करा रखा है जिसमें बिजली व मोटर लगा रखी है। जिससे आराजीयात में बोई हुई काश्त में आवपासी करते हैं। इस कारण वादीगण द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने में लाखों रूपये व्यय किये हैं। वादीगण एवं इनके बुजुर्गों का कब्जा काश्त आराजीयात में निरन्तर होने के कारण श्रीमान तहसीलदार जी आमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65/97 पर पारित निर्णय दिनांक 29-5-97 के द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को नियमन करने की सिफारिश श्रीमान जिलाधीश महोदय के समक्ष भेजी गई जो कि विचाराधीन है। फिर भी सुयोग्य तहसीलदार आमेर द्वारा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है और कहते हैं कि भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण को सम्मला दी है, यह भूमि उसी क्षेत्र में आती है जो भी कार्यवाही करो व सक्षम न्यायालय में दावा करके स्थगन आदेश लाओं अथवा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने के कारण तुम्हारे विरुद्ध बेदखल करने एवं कब्जा लेने की कार्यवाही की जावेगी। इस कारण भी श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादीगण के बुजुर्गों ने बाड़े व रहने के लिए कच्चे मकान व छप्पर बना रखे हैं। बाड़े में मवेशियों को रखते हैं व मकान में स्वयं अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इस भूमि के अलावा वादीगण के पास और कोई कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नहीं है। वादीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो कि भूमिहीन व्यक्ति की संज्ञा में आते हैं। इस कारण इसी आराजीयात को उपज पर वादीगण व इनका परिवार निर्भर है एवं जीवकोपार्जन का एक मात्र साधन यही भूमि है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण व श्रीमान जिलाधीश महोदय जयपुर को नोटिस जैर दफा 80 जाप्ता दीवानी का दिनांक 29-3-2010 को देने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण द्वारा उक्त नोटिस का कोई जवाब आज तक नहीं दिया है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करने हेतु कोई कार्यवाही ही की है। इस कारण वादीगण द्वारा उक्त गलत

Bsw

जयपुर, जिला- जयपुर

इन्द्राज को दुरुस्त कराकर वादीगण अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा साझा पूर्वक की गई कार्यवाही दिनांक 20-03-2010 एवं प्रतिवादीगण के अधीन कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25-08-2010 को वादीगण को जबरन बेदखल करने एवं आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की धमकियाँ देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी आया।

अतः इस्तदुआ है कि :-

(क) वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण आधिपत्य की डिक्री इस अमर की फरमाते हुए वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 338 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 1775 रकबा 3.93 हैक्टेयर वाकै ग्राम कांकरेल अन्तर्गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का वादीगण को कब्जे काश्तकार व खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जाकर वादीगण की खातेदारी में अंकित किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात में वादीगण को कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात में वादीगण को कब्जे काश्त की आराजीयात में शान्ति पूर्वक उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत न करें एवं ना ही बेदखल करने की कार्यवाही ही करें तथा ना ही पैलेन्टी वसूली की कार्यवाही ही करें और ना ही काश्त करने में बाधा ही उत्पन्न ही करें, ऐसा कोई भी कृत्य ना तो स्वयं ही करें और ना ही अपने नौकर-चाकर एवं एजेन्ट-सर्वेन्ट आदि से ही करावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलबी पूर्ण पायी गई।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मद संख्या 1 में साबिक भूमि ख0न0 338 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम कांकरेल अन्तर्गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित होना तथा जिसके हाल ख0न0 1775 रकबा 3.93 हैक्टे0 होना स्वीकार है, शेष जैसा लिखा असत्य है। जागीर पुर्नग्रहण के बाद भूमि सरकार में निहित हो गई, इस कारण वादीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। भूमि चरागाह में दर्ज है तथा इसका उपयोग पूर्व में गांव के मवेशियों के चरने के काम में आता था। वर्तमान में मिन प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे की भूमि है। भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है। भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है, बल्कि कब्जा मिन प्रतिवादी का है। इस कारण भूमि पर काश्त करने की बात मिथ्या दर्ज की गई है। तथाकथित तिथि को जब वादीगण का कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने की धमकी देने की बात मिथ्या दर्ज की गई है। वादीगण को तथाकथित तिथि को कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अतिरिक्त प्रतिवाद में निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि चरागाह की भूमि है, इस कारण चरागाह भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है, इस कारण बिना प्रार्थना कब्जा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। मिन प्रतिवादी को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी नोटिस नहीं दिया गया, इस कारण प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। वाद हेतु के अभाव में प्रस्तुत वाद चलने योग्य न होने से आदेश 07 नियम 11 के अन्तर्गत ही खारिज किये जाने योग्य है।

Bsw
रजिस्ट्रार
जयपुर

अतः वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्ज खर्च खारिज फरमाया जावे।

—: आदेश :-

पत्रावली के वादपत्र एवं चाहे गये अनुतोष का इस स्तर पर न्यायालय द्वारा अध्ययन किया। वादपत्र में चाहा गया अनुतोष वादपत्र के बिन्दू संख्या क के अनुसार है। न्यायालय का यह मत है कि प्रकरण एडवर्स पजेशन से संबंधित है। इस स्तर पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में **Suo Moto** खारिज करना विधि अनुसार है। इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत 2019(2) RRT 1354 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि भूमि के मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा का वाद संधारण योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण के तथ्य भिन्न हैं। प्रकरण में मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा होना कथन नहीं किया गया है वरन् एक टीनेन्ट के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा होना कथन कर खातेदारी हकों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार है न कि टीनेन्ट। एक टीनेन्ट के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर लैण्ड होल्डर की सहमति के बिना खातेदारी की घोषणा किये जाने का कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में नहीं है। माननीय राजस्व मंडल की पूर्ण पीठ द्वारा भी आरआरटी 2011(2) पेज 721 में यह स्पष्ट मत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार मेरे विनम्र मत में न्यायिक दृष्टांत 2019(2) RRT 1354 के तथ्य हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को सत्य भी मान लिया जाता है तो उसके आधार पर चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण **Suo Motu** (सुओ मोटो) अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फौसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

13.05/06/2025

Rsw-
उपरखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर